विशेष पत्रवाहक द्वारा

तुरन्त

संख्या 1892/36-चार--33(अ)/69

प्रेषक,

श्री पी०एन०चतुर्वेदी,
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

श्रम अनुभाग-(4) लखनऊ-दिनांक 16 जून, 1973

विषय:- प्रदेश की औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में अधिकृत कब्जेदारी की समस्या निदान के बारे में लिये गये निर्णय ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री वि०वि०माथुर के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 677/आई०एच०जी०(के०आर०)आठ-4, दिनांक 6 फरवरी, 1973 के प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की अनधिकृत कब्जेदारी की समस्या के निदान के बारे में शासन ने उच्च स्तर पर विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :-

(1) सभी पात्र श्रमिकों-अगर उनका 31 दिसम्बर, 1972 को किसी भी गृह पर कब्जा है- के नाम गृह अनियमित कर दिये जायें । यह आदेश शासकीय आदेश संख्या 2600(अ)/36-ए-119(एल.-एल)/67, दिनांक 4 दिसम्बर, 1969 के क्रम में समझे जायें ।

(2) शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि निजी क्षेत्र के कारखानों के श्रमिकों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों व केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित कारखानों के श्रमिकों को भी उक्त नियमन के लिये फिलहाल पात्र माना जाय और सिर्फ उन्हीं को यह सुविधा प्रदान की जाय जिनका 31 दिसम्बर, 1972 को अधिकृत कब्जा अनधिकृत कब्जा है ।

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, निगमों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी यह गृह नियमित कर दिये जायें बशर्ते कि उनका कब्जा 31 दिसम्बर, 1972 को किसी भी गृह पर है ।

(4) उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका प्रदेश की श्रमिक बस्तियों के गृहों पर अनधिकृत कब्जा है, उनके विरुद्ध तत्काल निष्कासन कार्यवाही की जाय तथा जब तक वह निकाले नहीं जाते हैं तब तक की अवधि की बावत उनसे क्षतिपूर्ति वसूल की जाय ।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व प्रस्तर-1 से 3 में निर्दिष्ट कर्मचारियों के नाम आवंटन/नियमन निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ होगा :-

....2

§1§ जैसा पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है आवंटन/नियमन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के नाम किया जायेगा जिनका 31 दिसम्बर, 1972 को औद्योगिक श्रमिक बस्ती के किसी गृह पर अधिकृत अथवा अनधिकृत कब्जा है ।

§2§ सुरक्षा परिधि के अन्दर पड़ने वाले गृहों में सिर्फ सुरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के नाम ही नियमन किया जा सकेगा । अगर उक्त परिधि के अन्दर पड़ने वाले गृहों में कोई गैर सुरक्षा कर्मचारी अनधिकृत रूप से रह रहे हैं तो उनके नाम उक्त गृहों का नियमन नहीं किया जाय । बल्कि उनको सुरक्षा परिधि के बाहर के वे गृह दे दिये जाये जिन्हें सुरक्षा परिधि के बाहर रहने वाले सुरक्षा कर्मचारी रिक्त करें अर्थात इस प्रकार के कर्मचारियों का एक गृह से दूसरे गृह में स्थानान्तरण करके नियमन किया जाय । इस बारे में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों से सम्पर्क स्थापित किया जाय और उनकी सहायता प्राप्त की जाय ।

§3§ सम्बन्धित कर्मचारियों के नाम गृहों का नियमन तभी किया जाय जब वे संबंधित गृहों के जिम्मे लगा अधवधिक सम्पूर्ण बकाया भुगतान कर दें ।

§4§ रूपया 350/- प्रति माह तक वेतन पाने वाले, पात्र श्रमिकों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के नाम गृहों का आवंटन सहायियत किराये पर किया जाय । अन्य सभी के नाम आवंटन आर्थिक किराये की दर से किया जाय ।

§5§ आवंटन के समय सभी से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र भराये जाये ।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि यह आदेश सिर्फ 31.12.72 तक के अनधिकृत कब्जेदारों के बारे में ही जारी किये जा रहे हैं और इन को पूर्व दृष्टांत मान कर भविष्य में कोई कार्यवाही तब तक न की जाय जब तक कि शासन की पूर्व अनुमति न प्राप्त कर ली गई हो ।

4. आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एतत आदेशानुसार तुरन्त अग्रिम कार्यवाही करें और प्रगति से शासन को भी अवगत करें ।

भवदीय,

ह0/- §बी0एन0चतुर्वेदी§
उप सचिव ।

संख्या 1892§1§/36-चार-33§अ§/69

प्रतिलिपि:-

§1§ सचिव, भारत सरकार, निर्माण एवं आवास मंत्रालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्तर-1 में दिये गये निर्णयों का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त कर राज्य सरकार को भेजने का कष्ट करें ।

§2§ सचिव, भारत सरकार, सुरक्षा मंत्रालय§सुरक्षा उत्पादन विभाग§, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

§3§ सचिव, निवास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश मंत्रालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

§4§ सचिव, भारत सरकार एवं पुनर्वास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

§बी0एन0चतुर्वेदी§
उप सचिव ।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, पत्र पेटी संख्या 220, कानपुर §गोपनीय§

- -

संख्या 47।4-74/आई0एच0जी0§के0आर0§आर0-4 दिनांक: जून 22, 1973

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

§1§ क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद/मेरठ ।

2. क्षेत्रीय सहायकत श्रमायुक्त, आगरा/लखनऊ/बरेली/सहायक श्रमायुक्त§गृह§ प्रधान कार्यालय/गोरखपुर ।

3. अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, रामपुर/अलीगढ/फिरोजाबाद/ गाजियाबाद/सहारनपुर/वाराणसी/मिर्जापुर§पिपिरी§/संराधन अधिकारी§गृह§ सहायक लेखा अधिकारी§गृह§ प्रधान कार्यालय ।

4. प्रदेश के समस्त गृह निरीक्षक/सहायक गृह निरीक्षक /श्रम निरीक्षक §गृह§ प्रधान कार्यालय ।

ह0/-§राजाराम श्रीवास्तव§
संयुक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश